कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(190)

समक्ष

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर रेवेन्यु निगरानी क्रं. /2012

R-2652-PBR/12 प्रस्तुति दिनांक 24/7/12

1. मो. ईशाक पिता श्री मो. हुसैन
आयु 56 वर्ष, धन्धा-खेती
निवासी-ग्राम शायदा तेह. महू

2. अजीज पिता स्व.श्री लोंगा पटेल
आयु 50 वर्ष, धन्धा-खेती
निवासी-ग्राम शायदा तेह. महू ......निगरानीकर्ता

वि.

1. अय्यूब पिता श्री अब्बास
आयु 46 वर्ष, धन्धा-खेती
निवासी-ग्राम शायदा तेह. महू

2. रहीम पिता श्री अब्बास
आयु 46 वर्ष, धन्धा-खेती
निवासी-ग्राम शायदा तेह. महू ..........प्रतिप्रार्थीगण

श्री संजय जोशी अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 24-7-12 को इन्दौर कैम्प पर प्रस्तुत। 24-7-12

30-7-12

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 के तहत निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन है कि-**

निगरानीकर्ता यह निगरानी याचिका माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (श्री प्रतुल सिन्हा) तेह. डॉ. अम्बेडकर नगर, महू जिला इन्दौर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. अ-13/11-12 में पारित आदेश दिनांक 05/07/12 को पारित आदेश के विरुद्ध एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है-

**प्रकरण के तथ्य-**

1. यह कि, प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा एक आवेदन धारा 131 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05/06/2012 को प्रस्तुत किया था तथा आवेदन अन्तर्गत धारा 131 के साथ एक अन्य आवेदन धारा 32 म.प्र. भूराजस्व संहिता के तहत का भी प्रस्तुत किया था ।

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/2652-पीबीआर/2012 जिला इंदौर

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21-02-19 | प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।<br><br>अध्यक्ष | |